

भारत सरकार
कार्यालय आयकर आयुक्त, रांची ।

कॉ.सं: तकनीकी/VI-94/12A/2000-01/
रांची, दिनांक, 18 सितम्बर 2001

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 129/एए के तहत आदेश

बिहार प्रदेश युवा परिषद, आलादगंज, डोहिनगंज

पत्रांक - 822101

ने आयकर अधिनियम की उपर्युक्त धारा के तहत निर्बंधन हेतु अपना आवेदन ब्रिहित पत्र में दिनांक 26/3/2001 को अपने संविधान दिनांक 2/10/85 की प्रतिलिपि के साथ दिया है। उक्त आवेदन निर्धारित समय के 14वें 5माह दिनों के विलम्ब के बाद दिया गया है। चूंकि ट्रस्ट/संस्था के आवेदन पत्र देने में विवरण केश पर्याप्त कारण नहीं पाए गए तथा देरी के न्याय संगत कारण नहीं दिए जाने के कारण इस संस्था का पंजीकरण आयकर अधिनियम की धारा 129/एए के अन्तर्गत दिनांक 1.4.2000 से प्रभावी होगा, स्वीकृति प्रदान की जाती है।

इस कार्यालय में धारा 129/एए के अधीन रखे गए आवेदन पत्र की पंजी में इस आवेदन की तकनीकी/VI-94/12A/2000-01 संख्या में प्रविष्टि कर दिया गया है।



एच। -

§ आयुक्त आयकर §
आयकर आयुक्त, रांची।

कॉ.सं: तकनीकी/VI-94/12A/2000-01/1489-90
रांची, दिनांक, 18 सितम्बर 2001

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. बिहार प्रदेश युवा परिषद, एमपी-मिश्रान बालिका उच्च विद्यालय, आलादगंज, डोहिनगंज, पत्रांक - 822101
2. संयुक्त आयकर आयुक्त, रांची परिसर, रांची/जमशेदपुर परिसर, जमशेदपुर
3. परिसर - 1 रांची
आयकर उपर्युक्त अंश - रांची/जमशेदपुर, आयुक्त महोदय के निम्नलिखित निदेशों के साथ :
 1. उपर्युक्त आवेदक की आयकर विवरणी प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
 11. आयकर धारा 11 §4ए§ की पात्रता के संबंध में आवश्यक जांच करें।

प्रमोद

(बीबीएचएम)

आयकर अधिकारी (नए)

रुने - आयकर आयुक्त, रांची।